



राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के० संख्या- 16/06-07

विषय:- शोभा देवी, पति- स्व० संजय साव, गाँधी टोला, राजगीर, जिला-नालन्दा का प्राप्त आवेदन-पत्र।

22.11.2006

आवेदन पत्र की छायाप्रति उप समाहर्ता, प्रभारी, सामान्य प्रशाखा, नालन्दा को भेजते हुए उनसे मंतव्य की मांग दिनांक 04.12.06 तक की जाय तथा दिनांक 07.12.06 को सुनवाई के लिए रखा जाय।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

07.12.2006

उप-समाहर्ता, सामान्य शाखा, नालन्दा समाहरणालय से मंतव्य अबतक अप्राप्त है। स्मारित किया जाय तथा पुनः दिनांक 10.01.07 को प्रातः 10.30 बजे सुनवाई के लिए रखा जाय। आवेदक को भी सूचना दे दी जाय।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

10.01.2007

आवेदिका उपस्थित हैं। उप समाहर्ता, प्रभारी (सामान्य) नालन्दा से मंतव्य अबतक अप्राप्त है। आरक्षी अधीक्षक, नालन्दा एक दूसरे मामले में कोर्ट में उपस्थित हैं। उन्होंने इस मामले की नोटिस लेने की पहल की है और एक सप्ताह के समय की मांग की है, जिससे जवाब भेजा जा सके। इस जवाब की प्रति अपीलकर्ता आवेदिका को दी जाए। दिनांक-17.01.07 को 10.30 बजे अगली सुनवाई के लिए तिथि निश्चित की जाती है।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

22.02.2007

नोटिस के बावजूद आवेदक अनुपस्थित हैं। जिला पदाधिकारी, नालन्दा का मंतव्य प्राप्त है, जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक को वांछित सूचनाएँ प्रदान कर दी गई हैं। ऐसी स्थिति में वाद को समाप्त किया जाता है।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त